पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 39 दिनांक 12.06.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य बजट शीर्ष– 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष– 80 सामान्य, लघु शीर्ष– 800 अन्य व्यय, उप शीर्ष– 0102, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड– पी0– 2245808000102 मद में मो0– 1114475.00 (ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ पचहत्तर) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुये सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष– 2015–16 में निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

(मांग संख्या – 39,राज्य योजना स्कीम कोड डी0आई0एस0– 5332 विषय शीर्ष– 2003 प्रशिक्षण व्यय(राशि रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	जिला स्तर पर साधन सेवी के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम हेतु आयोजन हेतु आवंटन प्रति प्रशिक्षणार्थी 100 रू0 की दर से	जिला स्तर पर संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवंटन प्रति प्रशिक्षणार्थी 75 रू0 की दर से	प्रखंड स्तर पर विद्यालय के दो–दो शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी 75रू की दर से	विद्यालय स्तर पर मौक ड्रिल आयोजन हेतु आवंटन प्रति विद्यालय 100 की दर से	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
01.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना।	**14600.00**	**19875.00**	**720000.00**	**360000.00**	**1114475.00**
	योगः–	**14600.00**	**19875.00**	**720000.00**	**360000.00**	**1114475.00**

1. इस उपावंटित राशि की निकासी आपदा प्रबन्धन विभाग के पत्रांक 17 दिनांक 05.06.15 निहित प्रावधान के आलोक में ए0सी0 विपत्र पर किया जायेगा।
2. राशि की निकासी के उपरांत इसे एकमुश्त बिहार शिक्षा परियोजना के खाता में हस्तांतरित किया जायेगा। तदुपरान्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पदाधिकारी/प्राधिकारी/प्रारंभिक विद्यालयों के सन्दर्भ में विद्यालय शिक्षा समिति/ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सन्दर्भ में विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाता में बैंक अन्तरण के माध्यम से राशि उपलब्ध करायेंगें।
3. व्यय की गयी राशि से सम्बन्धित डी0सी0 विपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान तैयार कर उसे जिला दण्डाधिकारी–सह समाहर्त्ता के माध्यम

से महालेखाकार बिहार, पटना को भेजते हुये उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 14.08.15 तक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

4. शिक्षा विभाग के द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग को समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) उक्त राशि से सम्बन्धित लेखा का संधारण अलग से करेंगें।

6. राशि का व्यय उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन निर्गत किया गया है। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाए।

ह०/–
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 747/आ०प्र०, दिनांक 02/07/15

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

[signature] 2/7

जिलाधिकारी,
पटना।